राजस्थान–सरकार

निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान–जयपुर।

कमांकः प.7(1002)/निचिस्वा/विधि/अव./2015/ दिनांकः–

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
चित्तौडगढ एवं समन्वयक।

विषयः–एस.बी.सि. अवमानना याचिका संख्याः 613/2014 (अन्तर्गत एस0बी0 सि0 रिट याचिका संख्या 1181/2013) हीरालाल, दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी, बनाम श्री मुकेश कुमार शर्मा, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान जयपुर व अन्य।

उपरोक्त विषयान्तर्गत उक्त अवमानना प्रकरण में प्रत्यर्थीगण की ओर से आपको समन्वयक एतद् द्वारा नियुक्त किया जाता है। अतः आप इस प्रकरण के लिए श्री पी.एस. भाटी, अतिरिक्त महाधिवक्ता, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर से सम्पर्क कर अवमानना प्रकरण का जवाब तैयार करवाकर माननीय न्यायालय में पेश कराने की कार्यवाही करावें जिससे इस प्रकरण का निस्तारण हो सकें।

उक्त अवमानना प्रकरण में माननीय न्यायालय से प्रत्यर्थीगण संख्या (4) के नाम प्राप्त अवमानना नोटिस मय अवमानना याचिका की छाया प्रति संलग्न कर भिजवाये जा रहे है ।

प्रकरण में अवामनना याचिका की प्रति संलग्न कर लेख है कि पारित निर्णय की पूर्ण पालना सक्षम स्तर से कराये जाने हेतु प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वा0 विभाग, राजस्थान जयपुर द्वारा जारी आदेश कमांक प.7( )/निचिस्वा/विधि/ 10/513 दिनांक 24.02.10 में वर्णित निर्देशानुसार पारित निर्णय की पालना संबंधी दायित्व का निर्वहन करते हुये प्रकरण में आप द्वारा की गई कार्यवाही से राज्य सरकार एवं अधोहस्ताक्षरकर्ता को समय–समय पर अवगत कराते रहे।
संलग्न–उपरोक्तानुसार।

निदेशक (जन स्वा0)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान, जयपुर।

कमांकः प.7(1002)/निचिस्वा/विधि/अव./2015/ 706 दिनांकः– 14/5/15
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. शासन सचिव (विधि), राजस्थान सरकार को प्रेषित कर निवेदन है कि प्रकरण में श्री पी.एस. भाटी, अतिरिक्त महाधिवक्ता, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर को पैरवी हेतु की गई नियुक्ति का अनुमोदन कराने का श्रम करें।
2. अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन), मुख्यालय को मय अवमानना याचिका की प्रति संलग्न प्रेषित कर लेख है कि समन्वयक को आवश्यक जवाब हेतु तथ्यात्मक स्थिति से अवगत करावें। साथ ही निर्णय की नियमानुसार पालना/अपील/नो अपील की कार्यवाही करना सुनिश्चित कराने का श्रम करें। संलग्नः–उपरोक्तानुसार।
3. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन जोधपुर/उदयपुर को प्रेषित कर लेख है कि वर्णित केस प्रभारी अधिकारी/समन्वयक आदेश संबंधित केस प्रभारी अधिकारी/समन्वयक को तामिल करवाकर तामिल रसिद भिजवाना सुनिश्चित करें तथा प्रकरण की प्रगति को समय–समय पर लाईट्स की वेबसाईट पर अपडेशन करवाना सुनिश्चित करें।
4. वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, डूंगला जिला चित्तौडगढ को भेजकर लेख है कि प्रकरण की तथ्यात्मक रिपोर्ट अविलम्ब नियुक्त समन्वयक को उपलब्ध कराते हुए प्रति विधि अनुभाग को भिजवाना सुनिश्चित करें साथ ही निर्णय की प्रति लगभग 1 वर्ष 4 माह पश्चात भिजवाने के संबंध में अपना स्पष्टीकरण भी भिजवाना सुनिश्चित करें।
5. श्री पी.एस. भाटी, अतिरिक्त महाधिवक्ता, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।
6. डीलिंग असिस्टेन्ट, उच्च न्यायालय जोधपुर सीट, विधि अनुभाग, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि प्रकरण में पारित निर्णय के विरूद्ध अपील/नोअपील की कार्यवाही अविलम्ब कराना सुनिश्चित करावें।
7. प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय को वास्ते विभाग की साईड पर अपलोड करने एवं संबंधित संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन–बीकानेर तथा संबंधित अधिकारियों को ई–मेल करने बाबत्।
8. डाटा एन्ट्री ऑपरेटर, विधि अनुभाग, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि प्रकरण का इन्द्राज आज ही लाईटस वेबसाईट पर कर पालना प्रस्तुत करें।
9. रक्षित पत्रावली।

सहायक विधि परामर्शी
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान, जयपुर।